न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 170/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2012/00010)

डालसिह पुत्र रामलाल सिह उर्फ रामचन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 10 रतननगर तहसील व जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. अनकोरी पत्नि बिशनसिह जाति राजपूत निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू।
2. गजेन्द्रसिह
3. नरेन्द्रसिह
4. श्रीमती मंजूदेवी
5. श्रीमती रन्जुदेवी
6. श्रीमती लीलादेवी

   (2 से 6 पिसरान् बिशनसिह जाति राजपूत निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू।)
7. श्रीमती शारदा देवी पत्नि मांगुसिह जाति राजपूत निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू।
8. गुलाबसिह
9. श्रीमती संतरा
10. श्रीमती गीता
11. श्रीमती लीला

    (8 से 11 पिसरान् मांगुसिह जाति राजपूत निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू।)
12. किशनसिह
13. बन्नेसिह (फौत)

    (12 व 13 पुत्रगण चुनसिह जाति राजपूत निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू।)

    13/1. सीता देवी बेवाह बन्नेसिंह
    13/2. विक्रम सिह पुत्र बन्नेसिह
    13/3. भवानी सिह पुत्र बन्नेसिह
    13/4. रिछपाल सिह पुत्र बन्नेसिह
    13/5. पूनम पुत्री बन्नेसिह

    (13/1 से 13/5 जाति राजपूत निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू।)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चूरू।

रेस्पोडेन्ट्स

15. सम्पतसिह
16. महेन्द्रपालसिह
17. रधुवीरसिह
18. उदमेन्द्रपालसिह

    (15 से 18 पुत्रगण रामलालसिह उर्फ रामचन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू।)
19. श्रीमती शारदा पत्नी रामलालसिह जाति राजपुत निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू **(नाम हटाया गया आदेश दिनांक 02.05.2017)**

प्रफोमा रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः 3.डॉ. महेश पालसिह —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 15 ता 18
अनुपस्थितः 4. श्री राजेन्द्रसिह भारकर —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 12

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांकः 30.05.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 30.04.2012 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कि अपीलान्ट ने तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 26.09.2007 के विरूद्ध जिला कलक्टर चूरू मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.2012 द्वारा प्रकरण को क्षेत्राधिकार मे नही मानते हुए अपील अपीलान्ट पोषणीय नही होने से खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 12 एव रेस्पोडेन्ट सं. 15 ता 18 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 14 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 13/1 ता 13/5 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि खेत खसरा नं. 309 तादादी 4 बीधा 10 बिस्वा, खसरा नं. 311 तादादी 3 बीधा, खसरा नं. 312 तादादी 37 बीधा 10 बिस्वा, खसरा नं. 348 तादादी 15 बीधा 10 बिस्वा, मौजारोही पोटी तहसील चूरू रामलाल सिह उर्फ रामचन्द्रसिह राजपूत निसासी रतननगर के खातेदारी मे एवं कब्जे काश्त में स्थित थी। रामलाल सिह उर्फ रामचन्द्रसिह का निधन दिनांक 09.04.2007 को हो गया। उसके पिछे पांच पुत्र व तीन पुत्रिया एवं पत्नी कानूनी उत्तराधिकारीगण है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के पिता व पति स्व. बिशनसिह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि स्व. रामलालसिह उर्फ रामचन्द्रसिह ने बादगत खातेदारी भूमि की वसीयत दिनांक 20.03.1990 को मागुसिह, बिशनसिह, किश्नसिह व बन्नेसिह पि. चुनसिह के हक में

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लिखकर उपपंजीयक चूरू के यहा तस्दीक एवं पंजीबद्व करवा दी थी। स्व. बिशनसिह ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव अपीलान्ट ने प्रस्तुत कर निवेदन किया तथा साथ में बन्द लिफाफे मे स्व. रामलालसिह उर्फ रामचन्द्रसिह द्वारा लिखित वसीयत भी प्रस्तुत की तथा लिफाफे को खोलकर एवं वसीयत के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की सत्यता की जांच नही की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब यह माना गया कि अपील क्षेत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत हुई है तो अपील को खारिज कराने का भी क्षेत्राधिकार नही था। अपील को संक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर हर दो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा वादगत भूमि का स्व. रामलालसिह उर्फ रामचन्द्रसिह की वसीयत दिनांक 20.06.2006 के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश फरमावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। तहसीलदार चूरू के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.09.2007 के द्वारा अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि के संदर्भ में वसीयत के आधार पर उभय पक्ष को सुनकर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किए है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत आने के कारण इसकी प्रथम अपील अदालतवाला में प्रस्तुत की जानी थी। जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जहां पर अपील को वापिस लौटाने के स्थान पर खारिज किया गया। उक्त खारिज आदेश दिनांक 30.04.2012 के विरूद्व यह द्वितीय अपील अदालतवाला में प्रस्तुत की गई है वास्तव में यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू व तहसीलदार चूरू के निर्णयों के विरूद्व

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत की गई है जो कि द्वितीय अपील नहीं होकर तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 26.09.2007 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए हम इसे गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित पाते है।

प्रस्तुत प्रकरण अति. जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 30.04.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चूरू के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2007 को भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत मानते हुए अपील का क्षेत्राधिकार में नही होने के आधार पर खारिज की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपील खारिज करने के स्थान पर संक्षम न्यायालय को प्रस्तुत करने करने हेतु लौटाई जानी चाहिए थी। इसके अलावा प्रस्तुत अपील में तहसीलदार चूरू के निर्णय दिनांक 26.09.2007 को निरस्त कर अन्तिम वसीयत दिनांक 20.06.2006 के आधार पर नामान्तकरण करने का निवेदन भी किया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चूरू के निर्णय 26.09.2007 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में यह आपत्ति उठाई थी कि प्रश्नगत भूमि पर बैंक ऑफ इन्डिया का रहन दर्ज है। वसीयतकर्त्ता के 5 बेटे है जो विधिक वारिसान है को छोड़कर तृतीय पक्ष को वसीयत कराया जाना संदेहास्पद है। इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट का उक्त अपील में यह कथन की अपीलान्ट के पिता द्वारा दिनांक 20.06.2006 को लिखे गए वसीयत के माध्यम से वसीयत दिनांक 20.03.1990 को निरस्त किया जा चुका है। इसके बारे में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप स्वीकार करते हुवे तहसीलदार चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2007 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार चूरू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में दोनो वसीयत की जांच कर उभय पक्ष को सुनकर, विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर